

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

ग्रिलाई दिनांक ३१/१२/२०२०

प्र / वार / तीन / संक्षि / 2020 / ७७६

// अधिसूचना //

(वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपादिकर के स्व-निर्धारण हेतु वार्षिक भारत मूल्य को दरै एवं जोगा का वर्गीकरण)

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अधीन छत्तीसगढ़ नगर पालिका(भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण नियम) नियम, 1997 के अंतर्गत नियम 6 के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में संपत्तिकर के रचनिर्णय हेतु संकल्प का अंगीकारण महापर विधायक नगर पालिक निगम, भिलाई ज्ञाता प्रस्ताव क्र. 07 दिनांक 29.12.2020 में पारित किया गया, जिसकी अधिकार्यवाला निगम द्वात्रा में स्थित भवन/भूमि के स्वामियों के जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, विवरण निम्नान्तस्मात् है:-

1. जोनलार भूमियों के लिए वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरे प्रति चारपाई में

जोग क्रमांक	आवासीय दरे	व्यवसायिक दरे
जोग-१	रु. 10.08 प्रति वर्गफुट	रु. 12.60 प्रति वर्गफुट
जोग-२	रु. 5.04 प्रति वर्गफुट	रु. 6.30 प्रति वर्गफुट
जोग-३	रु. 2.52 प्रति वर्गफुट	रु. 3.78 प्रति वर्गफुट
जोग-४ (ओद्यो.)	-	रु. 3.14 प्रति वर्गफुट

2. सम्पत्तिकर निर्धारण के लिए जोन का वर्गीकरण— कर्तमान में प्रचलित संपत्तिकर के लिए आवारीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक के अनुसार कुल 4 (चार) जोन में निर्धारित हैं। तदनुसार जोन का वर्गीकरण निम्नानशार हैः—

लोन-१ (आवासीय)

Dickey ✓ S.

जोग-१ (व्यवसायिक)

ज) नि-2 (आवासीय)

वार्ड कमांक-३ कोसा नगर स्थित इ.डब्ल्यू.एस. नवान, जावलनगर, आवासीय कृपालनगर कोहका, वार्ड-६९-७०- हुडको कालोनी, वार्ड-१९ शास्त्री नगर केप्प-१ स्थित आवासीय मतुगं एवं अन्य समान सुमि भूल्य के क्षेत्र(मुख्य रोड छोडकर)।

जोन-2 (व्यवसायिक)

भ्रमिक वर्सियों के मध्य रिथ्ट व्यवसायिक भवन एवं जन्य संग्रहालय हैं।

जोन-3 (आवासीय)

वार्ड-02- इंदिरानगर माडल टाउन श्रावक वस्ती, वार्ड-3- कृष्णनगर, गौतमनगर, श्रीमनगर, जुनवानी पुरानी वस्ती, वार्ड-4- कोसानगर, वार्ड-5- कुम्हारपारा, बलराम चौक, गणेश चौक, लोहारपारा, न्यु कृष्ण नगर, देवांगन पारा, कुम्हारपारा, लकड़ीनगर, आदर्शपारा, दुर्गपारा, गौतमनगर, उड़ियापारा, सुपेला, देवांगनपारा वार्ड-05- राजीवनगर, लकड़ीनगर, आदर्शपारा, दुर्गपारा, गौतमनगर, उड़ियापारा, सुपेला, वार्ड-12- पांच सास्ता काट्रोकटर सुपेला, वार्ड-06- शक्रनगर, चिंगरीपारा, सुपेला वस्ती, इंदिरानगर, वार्ड-13- पांच सास्ता काट्रोकटर

कालोनी, बाराद्वारी कांलोनी, बजरंग चौक सुपेला वार्ड-09-कोहका पुरानी बस्ती, कोहका, झोपड़पारा, वार्ड-07-मुरुम खदान फरीद नगर कोहका, वार्ड-11- अम्बेडकरनगर गंदी बस्ती (अन्दर भाग), वार्ड-14 रामनगर अन्दर भाग, वार्ड-13- राजीव नगर, रामनगर (परिवर्त) भाग "आ", रामनगर वार्ड-14 रामनगर अन्दर भाग, वार्ड-16-कुरुक्षेत्र, हरिजनपारा, गोडपारा, पुरानी बरती, याठापारा, वार्ड-27- (परिवर्त) भाग "ब", वार्ड-18-प्रेमनगर दुर्गा चौक केम्प-1, धारादासनगर, विवेकानन्द कालोनी, वार्ड-17 वृन्दानगर, वार्ड-18 प्रेमनगर दुर्गा चौक केम्प-1, वार्ड-21 वार्ड-19 शास्त्री नगर केम्प-1 स्थित श्रमिक बस्ती, वार्ड-20 प्रगतिनगर केम्प-1, वार्ड-21 वार्ड-24 शारदापारा गांधी चौक केम्प-2, वार्ड-25 संतोषीपारा केम्प-2, वार्ड-23 सून्दरनगर केम्प-1, वार्ड-22 श्यामनगर, वार्ड-28 छायनी, वार्ड-37 चन्दशेखर अजादनगर, वार्ड-38 रविदासनगर, वार्ड-36 जी.ई.रोड को छोड़कर) वार्ड-36 खुर्सीपार जोन-1 गौतमनगर, तीहीदवीर नारायण सिंह नगर (जी.ई.रोड को छोड़कर) वार्ड-34 खुर्सीपार जोन-2 नेताजी सुभाषवार्ड, वार्ड-30 वार्ड-35 खुर्सीपार जोन-2 शास्त्रीनगर, वार्ड-34 खुर्सीपार जोन-2 नेताजी सुभाषवार्ड, वार्ड-30 वार्ड-29 बापूनगर, वार्ड-33 खुर्सीपार वार्ड जोन-3, वार्ड-31 दुर्गा मंदिर, एवं अन्य चालाजीनगर, वार्ड-29 बापूनगर, वार्ड-33 खुर्सीपार वार्ड जोन-3, वार्ड-31 दुर्गा मंदिर, एवं अन्य सभान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-3 (व्यवसायिक)

जोन-3 के अंतर्गत आने वाले आवासीय क्षेत्र के अद्दे मान न पर १० हजार रुपये।
जोन-3 के अंतर्गत व्यवसायिक दर से गणना की जावेगी।

जोन कमांक-४ औच्योगिक :-

मूल्य के सेत्र। ऐसा सामाजिक अवधारण के संबंध में—

3- मोबाइल टावरों एवं भूमिगत केबल पर सम्प्राप्तिकर अवधारण का तथ्य है। भूमिगत केबल पर संबंधित जोन के अनुसार करो का निर्धारण वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से

सम्पत्तिकर का अधिरोपण किया जावेगा।

1. भूमिगत कब्ल पर सम्पादकर का अधिकार है सम्पादकर का अधिकार है सम्पादकर व्यवसायिक जोन के भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से सम्पादकर का अधिकार है किया जावेगा।

2. मोबाईल टावर पर सम्पत्तिकर का अवधारण— मोबाईल टावर पर प्रता भवन जिन वाधिक सम्पत्तिकर का अधिरोपण निगम के सभी क्षेत्र में किया जावेगा। आवासीय ऐसे भवन जिन पर मोबाईल टावर स्थापित हैं उक्त आवासीय भवन के स्वामी को स्वयं के रहवास के अंतर्गत मिलने की उम्मीद की जाएगी।

3. भवनों की छतों पर लगे हुए होर्डिंग्स पर संपत्तिकर का निर्धारण उक्त क्षेत्र के संबंधित संपत्तिकर

व्यवसायिक जोन के वार्षिक भाड़ा मूल्य का दर से संपादित कर पाया है।

जावेगा।
5- समेकितकर :— छत्तीसगढ़ राज्य पत्र रायपुर दिनांक 05.02.2010 के अनुसार नगरीय प्रशासन
परिषद का नं. 532 / 7703 / 18 / 2009-छोगठ नगर पालिक निगम

एवं विकास विभाग, रायपुर की अधिसूचना को 633/7703/18/2008-35-10
अधिनियम 1956 (को 23 सन् 1956) की धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ), (ङ.) हारा
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद हारा सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य
प्रकाश कर व सामान्य अग्नि कर की समेकित न्यूनतम दरों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।
अर्थात् सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाशकर, सामान्य अग्निकर की समेकित न्यूनतम दर
सम्पत्तिकर दाता के लिये रु. 50/- प्रतिमाह एवं गैर सम्पत्तिकर दाता के लिये रु. 25/-
प्रतिमाह किया गया है। तदनुसार नगर निगम भिलाई में अवधारित किया जावेगा।

6- सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु भवन के निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर भवन की वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरे निम्नानुसार हैं :-

जोग क.	पकड़ा भवन (आर.सी.सी., या पर्सर की छत युक्त पकड़े भवन)	आशिक पकड़ा भवन (सीमेट या लोहे की चावर/क्येल्यूटाइल्स) की छत युक्त पकड़े भवन	वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरे (दरे प्रति वर्गफ्लॅट)		खुली भूमि	मुख्य सड़क पर भवन में रिहर्त भूमि/भवन				
			आवा.	व्यव.						
1.	23.94	52.92	20.16	48.50	13.22	17.00	10.08	12.60	41.58	55.44
2.	16.38	48.50	13.22	44.10	10.08	13.22	5.04	6.30	32.76	52.92
3.	13.86	16.38	10.08	13.86	8.18	10.08	2.52	3.78	26.46	32.76
4. औद्यो जीन	-	16.38	-	12.60	-	8.82	-	3.14	-	-

7- अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य पर वार्षिक सम्पत्तिकर की दरे निम्नानुसार है :-

क्रम	अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य	वार्षिक सम्पत्तिकर की दरे (प्रतिशत में)
1.	कबैलू छत सहित कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गफ्लॅट से अधिक न हो।	संपूर्ण छूट (नियमानुसार समेकित कर देय होगा)
2.	एसी सभी भूमि और भवन, जिन पर स्वामित्व या कब्जा शहरी गरीबों का हो तथा जिनका निर्माण शहरी गरीबों के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या नगर पालिक निकाय की किसी गृह निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ हो।	संपूर्ण छूट (नियमानुसार समेकित कर देय होगा)
3.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 12000/- तक	6 प्रतिशत
4.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 12001/- से 20000/- तक	8 प्रतिशत
5.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 20001/- से 30000/- तक	10 प्रतिशत
6.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 30001/- से 50000/- तक	12 प्रतिशत
7.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 50001/- से 75000/- तक	15 प्रतिशत
8.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 75001/- से 100000/- तक	18 प्रतिशत
9.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 100001/- से अधिक	20 प्रतिशत

8- छूट - वर्तमान में अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य/देय सम्पत्तिकर पर छूट निम्नानुसार है:-

- बहुमंजिला भवनों के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर में छूट- यथावत ।
- भवनों के रख-रखाव के प्रयोजन से कुल वार्षिक भाड़ा मूल्य में पूर्ववत् 10 प्रतिशत की छूट यथावत ।
- भवन स्वामियों के स्वयं के निवास करने पर देय सम्पत्तिकर में छूट-पूर्ववत् अनुसार स्वयं के रहवास वाले भवन पर भवन स्वामी को कुल देय सम्पत्तिकर में से 50 प्रतिशत तक राशि की छूट देय होगी परन्तु यदि उक्त आवासीय भवन में मोबाइल टावर स्थापित हैं ऐसी दशा में भवन स्वामी को उक्त छूट की पात्रता नहीं रहेगी ।

4	भारत सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिका निकायों की शैक्षणिक संस्थानों, पंजीकृत घर्मार्थ न्यास, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 12 की उप-धारा(1) के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान।	संपूर्ण छूट
5	शैक्षणिक संस्थान जो उपरोक्त श्रेणी(4) के अधीन आव्वादित नहीं है।	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का 35) के अनुपालन के अनुपात में, पचास प्रतिशत की अधिकतम रीमा के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अनुपालन की सीमा तक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। पच्चीस प्रतिशत।
6	निःशब्द व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995(1996 का 1) के अंतर्गत निःशब्द व्यक्तियों के स्वामित्व के अधीन भूमि और भवन	पचास प्रतिशत।
7	नेत्रहीन व्यक्तियों, तथा तालाकशुदा / परित्यक्ता (निराश्रित) महिला के स्वामित्व वाली भूमि और भवन	पचास प्रतिशत।

09— भिलाई इरपात संघर्ष के स्वामित्व के भूमियों एवं भवनों का भी वर्ष 2021-22 के लिये निर्धारित दर अनुसार सम्पत्तिकर पुर्ननिर्धारण किया जावेगा।

10— नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत छूट— वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सम्पत्तिकर निर्धारित अवधि के पूर्व राशि जमा करने वाले भवन/ भूमि स्वामियों को निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

1. 01 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट ।
2. 01 जून 2021 से 31 जुलाई 2021 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट ।
3. 01 अगस्त 2021 से 30 सितम्बर 2021 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट ।
4. 01 अक्टूबर 2021 से 30 नवम्बर 2021 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट ।
- 11— अधिभार—छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 138(2) की उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा अंगीकृत किये गये संकल्प के आधार पर भूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, अपनी भूमि या भवन का वार्षिक नाला मूल्य निर्धारित करेगा तथा इस निर्मित विहित प्रारूप में एक विवरणी के साथ संपत्तिकर की रकम, नाला भूल्य नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर, ऐसी दर से निगम द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर, ग्रामारित किया जाएगा। भवन स्वामी को वित्त वर्ष अधिभार जैसा कि निगम द्वारा अवधारित किया जाये, ग्रामारित किया जाएगा। भवन स्वामी को अंतिम अवधि 31 डिसेम्बर 2021 में बिना अधिभार के स्व-विवरण प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 31 डिसेम्बर 2022 तक निर्धारित है। वित्त वर्ष 2021-2022 के बाद अंतिम 31 मार्च 2022 के पश्चात युल देय मार्च 2022 पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त (1). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत — यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व राशनिर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रुपये की शास्ति अधिशेषित की जाएगी।

(2). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (3) उपधारा (2) के अंतर्गत किये गये नियांरण में निम्न रूपर पर दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परन्तु कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारित नियांरण आदेश के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करें, तो शास्ति के प्रयोजन पर द्यान नहीं दिया जाएगा, तथा ऐसे मामलों में जहाँ अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो, तो भूमि और/या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच(अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-नियांरण तथा

निगम के द्वारा किये गये नियांरण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा।

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की (4) उपचारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील मेयर-इन-कॉर्टसिल में होगी :

परन्तु इस उपचारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उपचारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण सलग्न नहीं किया गया हो।

उपरोक्तानुसार अधिसूचना 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक नगर पालिक निगम, बिलाई बोर्ड में रिक्त समर्त गवन/भूमि स्थानी/दखलकार पर प्रभावशील होगी।



आयुका
नगर पालिक निगम
बिलाई



Dhony